न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 246/2025

1. दीपक कुमार पुत्र ओमकुमार जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. अरविन्द कुमार }
3. मनीष कुमार } ओमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. मोनिका पुत्री ओमकुमार जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,49(क) आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं विनिमय

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संदीप सैन	वादीगण
2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई	प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 30/10/2025

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,49(क) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि—यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है जो सही व सत्य है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 एक ही हिन्दू सयुक्त परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शास्ति होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। वादी सं.1 के पिता व प्रतिवादी सं.1 आपस में सगे भाई थे व प्रतिवादीया सं. 2 वादी सं.1 की सगी बहन है। वादी सं. 2, 3 व प्रतिवादी सं.1 आपस में पिता पुत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 14/15 के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14/1 की 1.581 है. नहरी खातेदारी में वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वार है। नकल जमाबंदी सलग्न पत्र है।

यह कि वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस— बी के खाता सं. 15/13 के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 12, 13, 14/2, प.नं.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

11/273 (12) किला नं. 3/2, 4 ता 7, 8/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 23/3, 24/25 की कुल 3.856 हैक. नहरी खातेदारी में वादी सं. 1 का 47/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं.2 का 13/120 हिस्सा, प्रतिवादी सं.1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 16/14 के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 1, 10, 11, 18/2, 19 ता 23 की 2.176 हैक. नहरी खातेदारी में वादी सं. 1 का 31/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं.2 का 9/80 हिस्सा, प्रतिवादी सं.1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 2/4 के प.नं. 11/274 (21) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, प.नं. 12/273 (13) किला नं. 11/3, 12/1, 13/1, 18/2, 19 ता 22, 23/2 की कुल 7.906 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की दफा 3, 4, 5 में वर्णित कृषि भूमि वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम सयुक्त खाता की कृषि भूमि है व वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम दर्ज है। यह समस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो विरास्तन औद हुई है। उक्त कृषि भूमि का वादी सं. 1 व प्रतिवादीया सं. 2 के पिता ओमकुमार व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य औमकुमार के जीवनकाल में ही काश्त की सुविधा व हिस्सानुसार घरू बंटवारा हो चुका था परन्तु वादी सं. 1 व प्रतिवादीया सं. 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण मुताबिक घरू बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हो सका था अब वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं.1 ने अपनी काश्त की सुविधा व हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर लिया है। प्रतिवादीया सं. 2 जो कि वादी सं.1 की सगी बहन है उसने इस घराघरू बंटवारा में अपना तमाम हक व हिस्सा अपने भाई वादी सं. 1 को त्याग कर दिया था वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि वादी सं. 1 अकेले को प्राप्त हुई है व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी भूमि को एक जगह करने के लिये आपस में काश्त की सहुलियत के हिसाब से भूमि का तबादला कर लिया है। वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के मध्य हुए घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है –

क. वादी सं.1 दीपक को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस– बी के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14/1/.063, 14/2/1395 की कुल 2.2265 हैक. नहरी खातेदारी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 2/4 के प. नं. 12/273 (13) किला नं. 11/3, 12/1, 13/1, 18/2, 19 ता 22, 23/2 की 1.581 हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम ... होगा) इस प्रकार कुल 3.8075 हैक. नहरी खातेदारी ।

ख. प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश की भूमि – चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 2/4 के प.नं. 11/274 (21) की 6.325 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार पक्षकारान अपने हिस्सा की भूमि का नामांमय कर खाना विभाजन करवाने व रकम राज अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज भूमि व वादी सं.1 से तबादला में प्राप्त भूमि वादी सं.2, 3 की पैतृक कृषि भूमि है। वादी सं.1 के पिता व प्रतिवादी सं.1 के मध्य घरू बंटवारा में वादी सं.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

2, 3 को भी इस पैतृक कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार से है

वादी सं. 2, 3 अरविन्द कुमार मनीष कुमार को घरू बंटवारा में ब. हि. ब. प्राप्त भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 15/13 के प.नं. 11/273 (12) किला नं. 3/2, 4 ता 7, 8/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 23/3, 24, 25 की 3.160 हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कल्मजन होगा), तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 11, 12, 13, 14/2/0.0505, 18/21. 152, 19, 20, 21, 22, 23 की 2.2265 हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कल्मजन होगा) इस प्रकार कुल 5.3865 हैक. नहरी खातेदारी ।

उक्तानुसार वादीगण अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी सं.1 को प्राप्त भूमि प्रतिवादी सं.1 व 2 के नाम दर्ज है व वादी सं. 2, 3 को प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम है जिससे वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व विनिमय करवाने के हकदार है व अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

यह कि वादीगण नें प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाते हुए राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते. रहे परन्तु आज से करीब 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी सं.3 के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नही है परन्तु श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना प्रतिवादी सं.3 को करनी है क्योंकि वह भू धारक इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह कि अर्जीदावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण कि घोषित किया जावे—

क. कि वादी सं.1 तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस— बी. के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14/1/.063, 14/2/.1395 की कुल 2.2265 हैक. नहरी खातेदारी व प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 2/4 के प.नं. 12/273 (13) किला नं. 11/3, 12/1, 13/1, 18/2, 19 ता 22, 23/2 की 1.581 हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा) इस प्रकार कुल 3.8075 हैक. नहरी खातेदारी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार वादी सं. 1 का खाता तकसीम किया [illegible] म राज अलग कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

ख. कि घोषित किया जावे कि वादी सं. 2 व 3 तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस—बी के खाता सं. 15/13 के प.नं. 11/273 (12) किला नं. 3/2, 4 ता 7, 8/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 23/3, 24, 25 की 3.160 हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कल्मजन होगा), तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस—बी के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 11, 12, 13, 14/2/0.0505, 18/2/.152, 19, 20, 21, 22, 23 की 2.2265

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हैक. नहरी खातेदारी (जिसमें से वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कलमशुदा होगा) इस प्रकार कुल 5.3865 हैक. नहरी खातेदारी के ब. हि. ब. के खातेदार काश्तकार है।

ग. कि खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

घ. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद पत्र है। दिनांक 15.10.2025 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनाम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि पर पारिवारीक सदस्यों व पचांयत के मौतवीर व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवा दिया है। जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य बाकी नही बचा है तमाम सदस्य मौजूद थे। मुताबिक राजीनामा अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है व शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। इसी प्रकार से दावा डिक्री किया जावे।

राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

वाद में स्टेट जवाब तहसीलदार एवं सूरतगढ से प्राप्त किया जा चुका है शामिल पत्रावली है। राज पैरोकार ने इस आश्य का जबाव प्रस्तुत किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर के पत्रांक प. 51 राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक सम्मान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेगें। वाद पत्र को कोई विरोध हमारे सामने नही आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदारी भूमि होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार व इकबाल दावा अनुसार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88,49(क) के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार विनियम के साथ घोषणा की जाती है:–

क. वादी सं. 1 तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस– बी. के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14/1/.063, 14/2/.1395 की कुल 2.2265 हैक. नहरी खातेदारी व प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस बी के खाता सं. 2/4 के प.नं. 12/273 (13) किला नं. 11/3, 12/1, 13/1, 18/2, 19 ता 22, 23/2 की 1.581 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जाता है। इसी अनुसार वादी सं. 1 का खाता तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जावे।

ख. वादी सं. 2 व 3 तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस–बी के खाता सं. 15/13 के प.नं. 11/273 (12) किला नं. 3/2, 4 ता 7, 8/1, 13/2, 14 ता 17, 18/1, 23/3, 24, 25 की 3.160 हैक. नहरी बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जातें है जिसमें से वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कल्मजन किया जाता है, तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस–बी के प.नं. 10/272 (10) किला नं. 11, 12, 13, 14/2/0.0505, 18/2/. 152, 19, 20, 21, 22, 23 की 2.2265 हैक. नहरी बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है जिस से वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम कल्मजन के आदेश पारित किये जाते हैं

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 30/10/2025.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा